विद्यालय रखरखाव एवं मरम्मत अनुदान
(School Maintenance and Repairing Grant)

परिचय :–

विद्यालय भवन को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने, साधारण मरम्मत व रखरखाव हेतु मेन्टिनेंस एवं रिपेयरिंग ग्रांट का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान **स्वयं के विद्यालय भवन** वाले समस्त शिक्षा विभाग/ पंचायती राज विभाग/संस्कृत शिक्षा/शिक्षाकर्मी के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (जहां प्रा./उ. प्रा. कक्षायें संचालित हे) विद्यालयों को देय है। विद्यालयों को निर्धारित राशि (मानदण्डानुसार) समयान्तर्गत स्थानान्तरित की जाये। रखरखाव एवं मरम्मत अनुदान के उपयोग में समुदाय की भौतिक एवं वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जावें। आवश्यकता होने पर भामाशाह तलाश किये जावे।

इस राशि से विद्यालय भवन/फर्नीचर/उपकरणों की मरम्मत, सफेदी, रंग रोगन, नैतिक एवं अनमोल वचन आदि एवं विद्यालय की विशेष उपलब्धियो (छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के नाम) को भी अंकित करवाया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय के बरामदे में बोर्ड निर्मित नहीं है तो इस राशि से बोर्ड बनवाये जाकर उस पर कक्षावार छात्रों की उपस्थिति, भामाशाहों के नाम, परीक्षा परिणाम, मीड डे मील का मीनू आदि अंकित करवाया जा सकता हैं।

वित्तीय प्रावधान :

- 5000/– रू. तक प्रति राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय (3 कक्षा–कक्षों तक)।
- 10000/– रू. तक प्रति राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय (3 कक्षा–कक्षों से अधिक के लिये)।
- जिले का औसत 7500/– रू. प्रति विद्यालय से अधिक न हो।

नोट:– 1. **कक्षा–कक्षों में प्रधानाध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष सम्मिलित नहीं होंगे।**

3. **शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।**

क्रियान्विति :

स्वीकृत राशि राज्य से जिलों को तथा जिलों के जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे ही विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर पारदर्शिता पूर्ण तरीके से राशि व्यय की जाये। विद्यालय प्रबन्धन समिति मरम्मत कार्यो को प्रमाणित करेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

कार्य प्रक्रिया :

1. गत दो वर्षों में बनाये गये नवीन भवन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नही होगा।
2. यदि मरम्मत एवं रखरखाव पेटे प्रावधान की गई राशि से अधिक राशि व्यय की जानी है तो इस हेतु अतिरिक्त राशि के लिए जनसहभागिता से व्यवस्था की जावे।

3. शहरी क्षेत्र के किराये के भवन में संचालित विद्यालयों को भी राशि देय होगी परन्तु इसके लिए एसएमसी के प्रस्ताव को एसएमसी की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है। साथ ही भवन मालिक की स्वीकृति लिया जाना भी आवश्यक है।

करावे जाने योग्य कार्य:—

1. प्राथमिकता से विद्यालय की छोटी—मोटी मरम्मतें करवायी जाये जैसे—टूटी हुई फर्श, खिडकियां, छात्र फर्नीचर, दरवाजे, चारदीवारी, शैक्षिक उपकरण, दीवारों वाले श्यामपट्ट, छत से चूना गिरना, छत टपकना, शौचालय मरम्मत आदि।
2. कक्षा—कक्षों एवं बरामदों में संसार, भारत एवं राजस्थान के नक्शे, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा आदि पेन्ट करवाना।
3. कम्प्यूटर एवं शैक्षिक व सहशैक्षिक उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव।
4. खेल मैदान का रखरखाव।
5. विद्यालय हित के भवन मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य जो कि उपयोगी है एवं जिन्हें एसएमसी आवश्यक समझती है।
6. बाला (BALA- Building as Learning Aid) अवधारणा के अन्तर्गत कक्षा—कक्ष, बरामदे, प्रांगण, बाहरी जगह जैसे खुले स्थान के प्राकृतिक वातावरण में सिखाने की परिस्थितियॉं बनाई जावें। बाला अवधारणा से स्कूली इमारतों को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में विकसित करने के प्रयास से निर्मित सामग्री कई प्रकार से उपयोगी हो सकती है।
7. विद्यालय सौन्दर्यन में।

निषेध :— **उक्त राशि से विद्यालय सुविधा की नवीन सामग्री उपकरण/फर्नीचर क्रय नहीं किये जाये।**

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना : —

करवाए गये कार्य का प्रमाणीकरण एसएमसी द्वारा किया जावे। उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नोडल प्रधानाध्यापक/बीईईओ के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय में **राशि के उपयोग के तुरन्त पश्चात् एक माह में अथवा वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व भिजवाया जाये।**

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड...

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान से प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या...

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

क्र. सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति ....को सत्र 2016–17 में प्राप्त विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या के अनुसार कर लिया गया है। इससे निम्न लिखित कार्य कराये गये –

....

....

....

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....